न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2019

अनवान :

रामकिशन पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **वादी**

बनाम

1. हरनाम पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी मालकस।
2. शिवधारी पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
3. मांगेराम पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
4. हवासिंह पुत्र श्री. हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक, अनूपशहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : **वादी**

निर्णय **दिनांक :** 17-02-20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मालकस के खाता सं0 93/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710 है0 खसरा सं0 171 की 3.048 है0, खसरा सं0 188 की 14.9860 है0 कुल 19.9050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी हरनाम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में है। वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। प्रतिवादी हरनाम को उक्त भूमि विरासतन अपने पिता पतराम से प्राप्त हुई है एवं वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 प्रतिवादी हरनाम के पुत्र है जिनका उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी हरनाम के साथ जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 प्रतिवादी हरनाम के साथ वाद भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

वाद भूमि महज परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी हरनाम के नाम दर्ज है। चूंकि प्रतिवादी हरनाम अपने पुत्रों की सेवा सुश्रा से काफी प्रसन्न है और अन्य सम्पति उसके हिस्सा में आने के कारण प्रतिवादी हरनाम ने अपनी उपर वर्णित कृषिभूमि अपने चारों पुत्रों को बहिस्सा बराबर बांट कर दे दी और अपना हिस्सा शुन्य कर लिया, वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 चारों प्रतिवादी हरनाम के दर्ज कृषि भूमि को बहिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 ने जबाब दावे पेश किये।

साक्ष्य वादी में वादी रामकिशन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मालकस के खाता सं0 93/155 सम्वत् 2074

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

–77 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मालकस सम्वत् 2044 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति है। वाद कृषि भूमि प्रतिवादी हरनाम को विरासतन अपने पिता पतराम से प्राप्त हुई है इसलिए वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का भी जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वाद कृषि भूमि इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम मालकस के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में अंकित किया है कि वाद कृषि भूमि प्रतिवादी हरनाम को विरासतन अपने पिता पतराम से प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम मालकस सम्वत् 2044 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा पतराम वल्द खेताराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता पतराम से विरासतन प्राप्त होना व दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में हरनाम के वारिसान में चार पुत्र मांगेराम, शिशपाल, रामकिशन एवं हवासिंह होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। चूंकि वादी ने अपने पिता हरनाम जो कि प्रतिवादी सं0 1 है का नाम कलमजन कर वाद भूमि की स्वयं के व अपने भाईयों के नाम से घोषणा करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि यह स्पष्ट नहीं किया है कि वाद कृषि भूमि के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के पास अपने भरण–पोषण के क्या स्त्रोत है इसलिए वाद वादी आंशिक तौर पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मालकस के खाता सं0 93/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710 है0 खसरा सं0 171 की 3.048 है0, खसरा सं0 188 की 14.9860 है0 कुल 19.9050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी हरनाम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हरनाम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचो के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुकेश कुमार)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2019

अनवान :

रामकिशन पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. हरनाम पुत्र श्री पतराम जाति जाट निवासी मालकस।
2. शिशपाल पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
3. मांगेराम पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
4. हवासिंह पुत्र श्री हरनाम जाति जाट निवासी मालकस।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा प्रबन्धक, अनूपशहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मालकस के खाता सं0 93/155 के खसरा सं0 132 की 1.8710 है0 खसरा सं0 171 की 3.048 है0, खसरा सं0 188 की 14.9860 है0 कुल 19.9050 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी हरनाम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हरनाम के बजाय वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 पांचों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 पांचो के नाम बहिस्सा बराबर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.26 10:37:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: